

## CORPORATE OFFICE

### Delhi Office

706 Ground Floor Dr. Mukherjee  
Nagar Near Batra Cinema Delhi -  
110009

### Noida Office

Basement C-32 Noida Sector-2  
Uttar Pradesh 201301

# CURRENT AFFAIRS

दिनांक: 5 सितम्बर 2023

## मिताक्षरा और दयाभाग

इस लेख में "दैनिक करंट अफेयर्स" और विषय विवरण "मिताक्षरा और दयाभाग" शामिल हैं। यूपीएससी सीएसई परीक्षा के गवर्नेस सेक्शन में "मिताक्षरा और दयाभाग" विषय की प्रासंगिकता है।

### प्रारंभिक परीक्षा

- मिताक्षरा कानून

### मुख्य परीक्षा

- जीएस 2 / राजनीति और शासन

### सुर्खियों में क्यों:

- हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि शून्य या अमान्य विवाह से पैदा हुआ बच्चा हिंदू अविभाजित परिवार में माता-पिता के हिस्से का हकदार है।

### मुख्य बिंदु-

- यह स्पष्ट किया गया है कि ऐसा बच्चा परिवार में किसी अन्य व्यक्ति की संपत्ति में या उस पर अधिकार का हकदार नहीं होगा।
- हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 16 वैधानिक रूप से शून्य या शून्य विवाह से पैदा हुए बच्चों को वैधता प्रदान करती है।
  - वास्तव में, मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने बताया कि धारा 16 (3) निर्धारित करती है कि शून्य और शून्य विवाह से बच्चों को अपने माता-पिता की संपत्ति पर अधिकार होगा।

### मिताक्षरा कानून के बारे में-

- हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 के रूप में **संहिताबद्ध हिंदू कानून के मिताक्षरा स्कूल** ने संपत्ति के उत्तराधिकार और विरासत को नियंत्रित किया, लेकिन केवल पुरुषों को कानूनी उत्तराधिकारियों के रूप में मान्यता दी।
- कानून उन सभी पर लागू होता है जो धर्म से मुस्लिम, ईसाई, पारसी या यहूदी नहीं हैं।
- बौद्ध, सिख, जैन और आर्य समाज, ब्रह्म समाज के अनुयायियों को भी इस कानून के उद्देश्यों के लिए हिंदू माना जाता है।
- महिलाओं को 2005 **से उत्पन्न विभाजन के लिए सहदायित्वकर्ता या संयुक्त कानूनी उत्तराधिकारी के रूप में मान्यता दी गई थी।** उस साल अधिनियम की धारा 6 में संशोधन किया गया था, ताकि एक कोपार्सेनर की बेटी को भी जन्म से "बेटे की तरह ही अपने अधिकार में" कोपार्सेनर बनाया जा सके।
- हिंदू अविभाजित परिवारों को नियंत्रित करने वाले उत्तराधिकार का मिताक्षर कानून पश्चिम बंगाल और असम को छोड़कर पूरे भारत पर लागू होता है।
- एक शून्य विवाह वह है जिसे पति या पत्नी द्वारा डिक्री के माध्यम से अमान्य कर दिया जाता है। एक शून्य विवाह शुरुआत में ही अमान्य है।

## मिताक्षरा और दयाभागा के बारे में-

- भारतीय कानून के तहत हिंदू अविभाजित परिवार के उत्तराधिकार को नियंत्रित करने वाले कानून के दो स्कूल दयाभागा और मिताक्षरा हैं।

## मुख्य बिंदु:-

- **क्षेत्रीय विभाजन:** दयाभागा स्कूल बंगाल और असम में प्रचलित है, जबकि मिताक्षरा स्कूल का पालन भारत के अन्य सभी क्षेत्रों में किया जाता है। मिताक्षरा स्कूल आगे विभिन्न स्कूलों जैसे बनारस, मिथिला, महाराष्ट्र और द्रविड़ स्कूलों में विभाजित है।
- **मुख्य व्याख्याकार:** विज्ञानेश्वर और जीनुतवाहन क्रमशः मिताक्षरा और दयाभागा स्कूलों की व्याख्या से जुड़े प्रसिद्ध विद्वान हैं।
- **मिताक्षरा स्कूल:** मिताक्षरा स्कूल में, विरासत में मिली संपत्ति का वितरण जन्मसिद्ध स्वामित्व के सिद्धांत पर आधारित था, और एक व्यक्ति अपनी स्व-अर्जित संपत्ति को जिसे चाहे उसके लिए छोड़ सकता था। सहदायिक, लोगों का एक समूह, संयुक्त परिवार की संपत्ति प्राप्त करता था। इ। विभाजन द्वारा संयुक्त परिवार की संपत्ति, साथ ही अगली तीन पीढ़ियों की संपत्ति को किसी भी समय अलग-अलग संपत्ति में बदला जा सकता है। इसलिए मिताक्षरा स्कूल में बेटों को संयुक्त परिवार की संपत्ति में विशिष्टता का जन्मसिद्ध अधिकार प्राप्त था।
- **दयाभागा स्कूल:** संपत्ति के मालिक के निधन के बाद, दयाभागा स्कूल को संपत्ति विरासत के रूप में मिलती है। दयाभागा स्कूल का उपलब्ध स्थान पुत्र के जन्मसिद्ध अधिकार सिद्धांत और उत्तरजीविता द्वारा संपत्ति के हस्तांतरण के कारण बाधित था।
- **दयाभागा में विभाजन:** इस स्कूल में, संपत्ति विभाजन अपेक्षाकृत सरल है। यदि कोई व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त करता है, तो उसकी संपत्ति उसके बेटों के बीच समान रूप से विभाजित हो जाती है। यदि वह भाइयों के साथ सामान्य संपत्ति साझा करता है, तो उसके हिस्से के बराबर एक हिस्सा अलग हो जाता है, और उसका हिस्सा उसके बेटों के बीच विभाजित हो जाता है।
- **सिद्धांत आधार:** दयाभागा स्कूल के उत्तराधिकार का नियम धार्मिक मूल्य या दिव्य लाभ में निहित है, जबकि मिताक्षरा स्कूल रक्त-संबंध के सिद्धांत पर निर्भर करता है।
- **मिताक्षरा स्कूल प्रतिबंध:** मिताक्षरा स्कूल प्रतिबंध लगाता है, जैसे कि महिलाओं को विरासत से बाहर रखना और आत्मीय (मातृ रिश्तेदारों) पर एग्रेट्स (पैतृक रिश्तेदारों) को प्राथमिकता देना। उदाहरण के लिए, यदि कोई हिंदू व्यक्ति अपने पीछे एक बेटा और एक बेटी छोड़ जाता है, तो बेटी को पूरी तरह से बाहर कर दिया जाता है, और बेटे को पूरी संपत्ति विरासत में मिलती है।
- **हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956:** हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956, हिंदू कानून के मिताक्षरा स्कूल का एक संहिताकरण, संपत्ति उत्तराधिकार और विरासत को नियंत्रित करता है लेकिन केवल पुरुषों को वैध उत्तराधिकारी के रूप में मान्यता देता है। हर कोई जो धर्म से मुस्लिम, ईसाई, पारसी या यहूदी नहीं है, कानून के अधीन था। इस कानून के प्रयोजनों के लिए, हिंदुओं में बौद्ध, सिख, जैन और आर्य समाज और ब्रह्म समाज के अनुयायी भी शामिल हैं।

स्त्रोत- हिन्दू

## प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न-01

### प्रश्न-01 हिंदू कानून के मिताक्षरा स्कूल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. मिताक्षरा का पालन मुख्य रूप से भारत के बंगाल और असम क्षेत्रों में किया जाता है।
2. मिताक्षरा में, संपत्ति का आवंटन जन्म से कब्जे पर आधारित है।
3. मिताक्षरा कानून के तहत, एक व्यक्ति वसीयत के माध्यम से अपनी स्व-अर्जित संपत्ति छोड़ सकता है।

### उपरोक्त कथनों में से कितने सही हैं?

- (a) केवल एक
- (b) केवल दो
- (c) उपरोक्त में सभी।
- (d) उपरोक्त में कोई नहीं।

उत्तर: b

**प्रश्न-02:** हिंदू कानून के दयाभागा स्कूल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

1. बंगाल और असम को छोड़कर भारत के अधिकांश क्षेत्रों में दयाभागा का मुख्य रूप से पालन किया जाता है।
2. दयाभागा स्कूल में जीवित रहने के जन्मसिद्ध अधिकार और संपत्ति के हस्तांतरण का सीमित महत्व है।
3. दयाभागा कानून एक व्यक्ति के बेटों के बीच संपत्ति को समान रूप से विभाजित करता है यदि वह मृत्यु हो जाती है।

**उपरोक्त कथनों में से कितने सही हैं?**

- (a) केवल एक
- (b) केवल दो
- (c) तीनों
- (d) कोई नहीं

**उत्तर: b**

**मुख्य परीक्षा प्रश्न-**

**प्रश्न-03-** संपत्ति विरासत और उत्तराधिकार के संबंध में हिंदू कानून के दयाभागा और मिताक्षरा स्कूलों के सिद्धांतों और निहितार्थों की जांच और तुलना करें। इसके अलावा, लिंग अधिकारों और आधुनिक भारत में संपत्ति कानूनों के विकसित परिदृश्य पर इन स्कूलों के प्रभाव का आकलन करें।

**Rajiv Pandey**

